विखंडित/विलोपित विखंडित/विलोपित विखंडित/विलोपित

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

विखंडित/विलोपित विखंडित/विलोपित

1— सावित्री देवी पत्नी मुन्नालाल जायसवाल

2— अस्वनी पिता मुन्नालाल जायसवाल

3— संजय पिता मुन्नालाल जायसवाल

4— दीपू पिता मुन्नालाल जायसवाल

सभी निवासी ग्राम जैतवारा, तह0 विरसिंहपुर, जिला सतना म0प्र0

————————निगरानीकर्तागण

बनाम

1— शासन म0प्र0 द्वारा पटवारी हल्का जैतवारा

2— श्याम गोयल तनय श्री रघुनाथ प्रसाद गोयल, उम्र 58 वर्ष,

3— विकास चन्द्र गुप्ता तनय स्व0 श्री गौरी शंकर गुप्ता, उम्र 41 वर्ष,

4— रामचरण विश्वकर्मा तनय श्री रामविश्वास विश्वकर्मा, उम्र 46 वर्ष,

5— राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल तनय स्व0 श्री भागवत प्रसाद जायसवाल, उम्र 60 वर्ष,

सभी निवासीगण ग्राम जैतवारा, तह0 विरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0

————————गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश श्रीमान् प्रबंधक अधीक्षक भू—अभिलेख सतना, जिला सतना म0प्र0 दिनांक 02.2.2016 को प्र0क0 04A12/14—15, 03A12/14—15, 06A12/14—15, 07A12/14—15, में संयुक्त रूप से पारित ।

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :—

1— अधीनस्थ न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही व आदेश दिनांक 02.02.2016 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

(292)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक निग0 / 5158–दो / 2016 जिला–सतना

सावित्री देवी जायसवाल / शासन, श्याम गोयल

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अधीक्षक, भूप्रबंधक, भू–अभिलेख सतना के प्रकरण क्रमांक 4 / अ–12 / 2014–15, 03 / अ–12 / 2014–15, 06 / अ–12 / 2014–15, 07 / अ–12 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम. शर्मा), सदस्य	